e-i-xkeh.k vkthfodk ifj;ktuk

mn’;& ग्रामीण गरीबों की आजीविका में स्थाई सुधार लाने के उदेष्य से मध्य प्रदेष के आदिवासी जिलो में प्रभावी कार्यक्रम लागू करना।

iko/kku& म.प्र.ग्रामीण आजीविका परियोजना का क्रियान्वयन ग्रामसभा के माध्यम से किया जा रहा है। किसी भी गतिविधि के प्रस्ताव का अनुमोदन ग्रामसभा द्वारा किया जाता है। योजना का क्रियान्वयन ग्राम सूक्ष्म योजना के आधार पर होता है। इसी के अतंर्गत परियोजना सहायता दल एवं ग्रामीणों के सहयोग से परियोजना के चयनित ग्रामों में समस्त लाभार्थियों का आर्थिक सम्पन्नता श्रेणीकरण किया जा चुका है, जिससे परियोजना ग्रामों के समस्त लाभार्थियों को उनके आर्थिक स्तर पर परियोजना द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार ए, बी, सी, एवं डी श्रेणी में बांटा जाता है। इसके उपरांत आर्थिक सम्पन्नता श्रेणीकरण का अनुमोदन ग्रामसभा से किया जाता है।

क्रमांक	श्रेणी	धनराषि	ऋण / अनुदान	रिमार्क
1	A श्रेणी	5000/-	ऋण	
2	B श्रेणी	10000/-	ऋण	
3	C श्रेणी	20000/-	ऋण / अनुदान	
4	D श्रेणी	20000/-	अनुदान	

यह धनराषि समस्त परियोजना अवधि तक किसी भी परिवार की गतिविधि के लिये प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

dku ykHk y ldrk g – परियोजना के चयनित ग्राम के समस्त ग्रामसभा के सदस्य इस परियोजना का लाभ ले सकते है।

;ktuk dk ykHk dl y &

1. किससे संपर्क करे – ग्रामसभा में उपस्थित होकर उस ग्राम का सदस्य प्रस्ताव रख सकता है।
2. आवेदन प्रारूप कहां से प्राप्त करें – यहॉ पर आवेदन की जगह परियोजना द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव ग्रामसभा में रखे जाते है।
3. आवेदन करने का तरीका – कोई भी हितग्राही जो उस ग्राम का सदस्य है या रहने वाला है, ग्रामसभा में उपस्थित होकर किसी भी गतिविधि के

लिये प्रस्ताव रख सकता है, एवं निर्धारित प्रारूप पर प्रस्ताव पारित करा सकता है।

4. आवष्यक दस्तावेज– ग्रामसभा का प्रस्ताव रजिस्टर, सुक्ष्म कार्य योजना व निर्धारित प्रारूप पर प्रस्ताव।

¼MkW0 'kSy"k dqekj lkdYy½
ftyk ifj;kstuk
vf/kdkjh
e-iz-xzkeh.k vkthfodk
ifj;kstuk
ftyk fM.Mkjh